

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—28/2023 (2023/80) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. प्रेमनाथ पिता जोधानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगुनाथ पिता जोधानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोसी पत्नि गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरुनाथ पिता जोधानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतननाथ पिता मीठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पुनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनी पत्नि शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. आसुनाथ पिता छोगानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रेमी पत्नि डालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पारसी पत्नि मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. धीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. धर्मी पत्नि मिठुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. बसन्ती पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भंवरलाल पिता कालुलाल खटीक निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. चुन्नीलाल पिता कालुलाल खटीक निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपरिथत

1. पूनम नाथ सपेरा —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 04.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 38 रकबा 1.08 है0, आराजी संख्या 819/726 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 822/742 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 825/744 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 836/751 रकबा 0.14 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.86 है0 व आराजी संख्या 811/67 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 814/738 रकबा 0.39 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 238 व 234 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घासा आदि काटने व मवेशी चराने में दरमिन्दगी पक्षकारान आपरा में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कर्तव्य को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमवाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.11.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम



बार कड़ा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 व 7 लगायत 9 व 13 व 14 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया विपक्षी संख्या 3 लगायत 6, 10, 12, 15 की अदम तामिल होने से प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 38 रकबा 1.08 है०, आराजी संख्या 819/726 रकबा 0.25 है०, आराजी संख्या 822/742 रकबा 0.33 है०, आराजी संख्या 825/744 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 836/751 रकबा 0.14 है० कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.86 है० व आराजी संख्या 811/67 रकबा 0.06 है०, आराजी संख्या 814/738 रकबा 0.39 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.45 है० भूमि खाता संख्या 238 व 234 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—28/2023 (2023/80) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. प्रेमनाथ पिता जोधानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगुनाथ पिता जोधानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोरखनाथ पिता गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सोसी पत्नि गोकलनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरुनाथ पिता जोधनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतननाथ पिता भीटुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पुनाथ पिता मिटुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनी पत्नि शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. आसुनाथ पिता छोगानाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. प्रेमी पत्नि डालुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पारसी पत्नि मोहननाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोपालनाथ पिता मिटुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. घीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. धर्मी पत्नि मिटुनाथ जोगी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. बसन्ती पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. भंवरलाल पिता कालुलाल खटीक निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. दुन्नीलाल पिता कालुलाल खटीक निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 28.03.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगणों के अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 38 रकबा 1.08 है0, आराजी संख्या 819/726 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 822/742 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 825/744 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 836/751 रकबा 0.14 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.86 है0 व आराजी संख्या 811/67 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 814/738 रकबा 0.39 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि खाता संख्या 238 व 234 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/—रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/—रुपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्वा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा